संख्या-162/2016/आर-3404/26-3-2016-4(154)/2015 टी.सी.।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 सितम्बर, 2016

विषयः- जनजाति उपयोजना के अन्र्तगत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी हेतु आडिटोरियम के निर्माण हेतु दी गयी प्रशासकीय स्वीकृति की अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-118/ज.जा.वि./2016-17, दिनांक-04-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0108-24 (बृहद निर्माण) में **जनजाति क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, लखीमपुरखीरी** में आडिटोरियम के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपया-224.40 लाख (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के सुसंगत लेखाशीर्षक में प्राविधानित आय-ब्ययक धनराशि रूपया-521.72 लाख (रूपया पांच करोड़ इक्कीस लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क्र.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत की जा रही।
1	एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में आडिटोरियम का निर्माण	448.85	224.40	224.40

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(5) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनान्त्तगत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(6) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूँजिगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निमार्ण कार्य (के0100-राज्य.0)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-162/2016/आर-3404(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3- प्रबंध निदेश,, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0
4- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 को एक प्रति।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in